विवाह विच्छेद का बच्चों के समाजीकरण पर प्रभाव का समाजशास्त्रीय अध्ययन (रायपुर नगर के विशेष संदभ में)

शोधार्थीः– वेनिका निषाद
शोध निर्देशिका :– डॉ. श्रीमती प्रीति शर्मा
प्राचार्य
शहिद नंदकुमार पटेल शासकीय
महविद्यालय, बीरगांव
रायपुर (छत्तीसगढ़)

सारांश

विवाह परिवार निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से बच्चों का पालन–पोषण, संरक्षण तथा समाजीकरण सम्पन्न होता है। वर्तमान समय में विवाह विच्छेद की बढ़ती घटनाओं ने बच्चों के सामाजिक, मानसिक एवं भावनात्मक विकास को प्रभावित किया है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के विशेष संदर्भ में विवाह विच्छेद का बच्चों के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन से ज्ञात होता है कि विवाह विच्छेद के कारण बच्चों में असुरक्षा की भावना, आत्मविश्वास में कमी, सामाजिक समायोजन की समस्याएँ, व्यवहारगत परिवर्तन तथा भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। ऐसे बच्चों के पारिवारिक संबंधों, शैक्षणिक उपलब्धियों तथा सामाजिक सहभागिता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। माता–पिता के मध्य तनावपूर्ण संबंध एवं पारिवारिक विघटन बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और समाजीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अध्ययन यह भी दर्शाता है कि उचित पारिवारिक सहयोग, परामर्श सेवाओं तथा सकारात्मक सामाजिक वातावरण के माध्यम से बच्चों को इन चुनौतियों से उबरने में सहायता प्रदान की जा सकती है। अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह विच्छेद बच्चों के समाजीकरण को बहुआयामी रूप से प्रभावित करता है तथा उनके समग्र विकास हेतु परिवार, समाज और संस्थागत सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

बीज शब्द

विवाह विच्छेद, समाजीकरण, परिवार, बच्चे, सामाजिक विकास, व्यक्तित्व विकास, भावनात्मक विकास।

हिंदू संस्कारों में विवाह को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया है। विवाह केवल दो व्यक्तियों का सामाजिक एवं धार्मिक बंधन नहीं है, बल्कि यह परिवार एवं समाज की संरचना को स्थायित्व प्रदान करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है। विवाह के माध्यम से परिवार का निर्माण, वंश की निरंतरता तथा सामाजिक मूल्यों एवं परंपराओं का संरक्षण होता है। किंतु वर्तमान समय में विवाह संस्था की पवित्रता एवं स्थायित्व में निरंतर परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज अनेक परिस्थितियों में विवाह केवल वैवाहिक जीवन निर्वाह का माध्यम बनकर रह गया है। जब वैवाहिक जीवन में प्रेम, सामंजस्य एवं सहयोग के स्थान पर तनाव, कलह एवं संघर्ष उत्पन्न होने लगते हैं, तब पति–पत्नी वैवाहिक संबंधों से मुक्त होना उचित समझते हैं। ऐसी स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव बच्चों के जीवन पर पड़ता है।

बच्चे पूर्णतः अपने माता–पिता पर आश्रित होते हैं। विवाह विच्छेद अथवा पारिवारिक विघटन की स्थिति में बच्चों को कई बार अन्य पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर होना पड़ता है। यदि उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं की समुचित पूर्ति नहीं हो पाती, तो उनके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं शैक्षणिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बच्चों के रहन–सहन, जीवन शैली, व्यवहार एवं चिंतन में परिवर्तन

स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। उनमें आत्मविश्वास की कमी, असुरक्षा की भावना, अंतर्मुखी प्रवृत्ति तथा नैतिक मूल्यों के प्रति उदासीनता विकसित होने लगती है।

पारिवारिक विघटन का प्रभाव बच्चों के मानसिक संतुलन पर भी पड़ता है। वे स्वयं को अकेला, उपेक्षित एवं असुरक्षित अनुभव करने लगते हैं। परिणामस्वरूप उनमें तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन एवं आक्रामकता जैसी प्रवृत्तियाँ विकसित हो सकती हैं। कुछ बच्चों में लड़ाकू व्यवहार, नकारात्मक सोच एवं सामाजिक समायोजन की समस्या देखने को मिलती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका प्रदर्शन प्रभावित होता है तथा अध्ययन के प्रति रुचि में कमी आने लगती है। कई बार माता–पिता अपने कार्यों एवं व्यस्तताओं के कारण बच्चों के पालन–पोषण का उत्तरदायित्व अन्य व्यक्तियों अथवा नौकरों पर छोड़ देते हैं, जिससे बच्चों को उचित स्नेह, मार्गदर्शन एवं अनुशासन प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में वे गलत संगति एवं अनुचित व्यवहारों की ओर आकर्षित हो सकते हैं।

जब माता–पिता बच्चों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भय अथवा कठोरता का प्रयोग करते हैं, तब बच्चों में कुंठा एवं विद्रोह की भावना उत्पन्न होने लगती है। वे माता–पिता को अपने दुःखों का कारण मानने लगते हैं तथा अन्य व्यक्तियों के प्रभाव में आकर उनके अनुरूप व्यवहार करने लगते हैं। इससे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण एवं समाजीकरण की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

बच्चे मानव समाज की आधारशिला माने जाते हैं। जन्म के समय बच्चा केवल एक जैविक प्राणी होता है, जिसे समाज की संस्कृति, परंपराओं, रीति–रिवाजों, नैतिक मूल्यों एवं सामाजिक व्यवहारों का ज्ञान नहीं होता। परिवार, पड़ोस, मित्र समूह, विद्यालय तथा अन्य सामाजिक संस्थाओं के संपर्क में आकर वह सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से धीरे–धीरे सामाजिक प्राणी बनता है।

Kimball Young के अनुसार —

"समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति सामाजिक एवं सांस्कृतिक जगत में प्रवेश करता है तथा समाज के मूल्यों, आदर्शों और व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है।"

इसी प्रकार Arnold W- Green के अनुसार —

"समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक विशेषताओं, सामाजिक मूल्यों एवं व्यवहारों को ग्रहण कर सामाजिक व्यक्तित्व प्राप्त करता है।"

अतः समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति–रिवाज, मूल्य, आदर्श एवं व्यवहारों को सीखकर सामाजिक जीवन के अनुरूप स्वयं को ढालता है। परिवार, विद्यालय एवं समाज इस प्रक्रिया के प्रमुख साधन होते हैं। यदि परिवार में सकारात्मक एवं संतुलित वातावरण बना रहे, तो बच्चों का व्यक्तित्व विकास एवं समाजीकरण उचित रूप से होता हैय किंतु पारिवारिक विघटन एवं विवाह विच्छेद की स्थिति बच्चों के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है।

साहित्य का पुनरावलोकन

विवाह परिवार निर्माण की एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है, जिसके माध्यम से बच्चों का पालन–पोषण, संरक्षण, शिक्षा तथा समाजीकरण सम्पन्न होता है। परिवार बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण एवं सामाजिक मूल्यों के विकास का प्रथम एवं प्रमुख माध्यम है। जब परिवार में विवाह विच्छेद की स्थिति उत्पन्न होती है, तब इसका प्रभाव केवल पति–पत्नी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बच्चों के सामाजिक,

मानसिक, भावनात्मक एवं व्यवहारिक विकास पर भी पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन से संबंधित विभिन्न विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों का अवलोकन निम्नानुसार है।

ताम्रकार , नम्रता (2021) ने मध्यप्रदेश के सिवनी एवं बालाघाट जिलों में विवाह विच्छेद का बच्चों के विकास पर प्रभाव का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि जिन बच्चों के माता–पिता का विवाह विच्छेद हो जाता है, उनमें निराशा, क्रोध, चिंता, एकाग्रता की कमी तथा व्यवहारगत समस्याओं में वृद्धि होती है। परिवार विघटन के कारण बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक समायोजन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

अलीशा, प्रधान (2021) ने सिक्किम विश्वविद्यालय में तलाकशुदा माता–पिता एवं बच्चों के सर्वोत्तम हितों से संबंधित सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि तलाकशुदा परिवारों के बच्चे भावनात्मक सुरक्षा एवं सामाजिक संरक्षण की कमी का अनुभव करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में बच्चों के व्यक्तित्व विकास, आत्मविश्वास तथा सामाजिक समायोजन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

दीपक, पंचोली (2015) ने उदयपुर संभाग में विवाह–विच्छेदित एवं विवाहयुक्त अभिभावकों के बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन एवं शैक्षणिक उपलब्धियों का तुलनात्मक अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि विवाह–विच्छेदित परिवारों के बच्चों में चिंता, तनाव, आत्मविश्वास की कमी तथा समायोजन संबंधी कठिनाइयाँ अधिक होती हैं। इन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियाँ भी अपेक्षाकृत कम पाई गईं।

कांत, अजन्ती (2013) द्वारा लिखित पुस्तक ष्महिला एवं बाल कानून नीतिष में महिलाओं एवं बच्चों की सामाजिक एवं कानूनी स्थिति का विस्तृत विवेचन किया गया है। पुस्तक में बाल अधिकारों, उनके संरक्षण तथा विकास से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। यह पुस्तक महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है।

कुमारी, सविता (2012) ने बिहार के दरभंगा जिले में पारिवारिक तनाव एवं तलाक का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि पति–पत्नी के मध्य तनाव, अविश्वास, विवाहेतर संबंध, पारिवारिक कलह एवं अन्य सामाजिक कारण तलाक के प्रमुख कारण हैं। तलाक का प्रभाव बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास एवं समाजीकरण पर प्रतिकूल रूप से पड़ता है।

अग्रवाल, अनिल अग्रवाल ने उत्तरप्रदेश के इटावा जिले में उच्च शिक्षित तलाकशुदा महिलाओं के पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया गया कि तलाकशुदा महिलाएँ स्वयं को असुरक्षित महसूस करती हैं तथा परिवार एवं समाज के साथ समायोजन स्थापित करने में कठिनाई अनुभव करती हैं। समाज एवं परिवार द्वारा उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण उनमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक एवं संवेगात्मक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। अध्ययन में यह भी पाया गया कि माता–पिता के वैवाहिक विघटन का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, जिसके कारण उनमें भय, आत्मविश्वास की कमी, हीनभावना, सामाजिक अलगाव तथा अपराधी प्रवृत्तियों के विकास की संभावना बढ़ जाती है। अध्ययन के अनुसार घरेलू हिंसा, पति–पत्नी के मध्य अविश्वास, विवाहेतर संबंध, सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग, बच्चों एवं परिवार की उपेक्षा तथा पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन न करना विवाह विच्छेद के प्रमुख कारण हैं।

अध्ययन का महत्व

वर्तमान समय में विवाह विच्छेद की बढ़ती घटनाओं ने परिवार संस्था तथा बच्चों के समग्र विकास को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया है। परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्रथम एवं प्रमुख माध्यम होता है, जहाँ वे सामाजिक मूल्य, मानदंड, व्यवहार एवं जीवन कौशल सीखते हैं। माता–पिता के वैवाहिक संबंधों में

उत्पन्न विघटन का प्रभाव बच्चों के व्यक्तित्व, व्यवहार, सामाजिक संबंधों तथा मूल्यबोध पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन विवाह विच्छेद की स्थिति में बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया को समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन बच्चों के सामाजिक समायोजन, शैक्षणिक उपलब्धियों, भावनात्मक स्थिति, आत्मविश्वास तथा सामाजिक सहभागिता पर विवाह विच्छेद के प्रभावों का विश्लेषण करने में सहायक होगा। अध्ययन के निष्कर्ष नीति–निर्माताओं, समाजशास्त्रियों, शिक्षकों, मनोवैज्ञानिकों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे। इसके माध्यम से विवाह विच्छेद से प्रभावित बच्चों की समस्याओं को समझने तथा उनके समाधान हेतु प्रभावी नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। यह अध्ययन पारिवारिक संस्था की बदलती संरचना एवं उसके बच्चों पर पड़ने वाले प्रभावों के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करेगा। साथ ही विवाह विच्छेद से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास, परामर्श, सामाजिक समायोजन एवं सकारात्मक विकास के लिए आवश्यक सुझाव प्रस्तुत करने में भी सहायक सिद्ध होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विवाह विच्छेद का बच्चों के समाजीकरण पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना है। इसके अंतर्गत यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि विवाह विच्छेद बच्चों के सामाजिक व्यवहार, व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक समायोजन, भावनात्मक स्थिति, शैक्षणिक उपलब्धियों तथा सामाजिक संबंधों को किस प्रकार प्रभावित करता है।

अध्ययन प्रद्धतिः–

प्रस्तुत शोध हेतु अध्ययन पद्धति को चार भागों में वर्गीकृत किया गय हैः–

1. अध्ययन क्षेत्र का परिचय।
2. उत्तरदाताओं का चयन।
3. तथ्य संकलन की प्रविधि एंव उपकरण।
4. प्राप्त तथ्यों का वर्गीकरण एंव विश्लेषण।

2. उत्तरदाताओं का चयनः–

प्रस्तावित शोध हेतु रायपुर शहर के 7 प्रमुख वार्डो (वार्ड क्रमांक 58, 63, 64, 65, 67, 68, 69) का अध्ययन किया जायेगा । प्रत्येक वार्डो से तलाकशुदा उत्तरदाताओं की संख्या पार्षद द्वारा प्रदत्त जनगणना सूची से प्राप्त की गई है।

3. तथ्य संकलन की प्रविधि एंव उपकरणः–

शोध से संबंधित तथ्यों के संकलन के लिये प्राथमिक एंव द्वितीयक स्त्रोत का प्रयोग किया गया है। जिसमें प्राथमिक स्त्रोतों के रूप में तथ्य संकलन हेतु साक्षात्कर अनुसूची एंव अवलोकन का तथा द्वितीयक स्त्रोत के अंतर्गत पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, विभिन्न सोशल नेटवर्क साइटों, वेबसाइटों, रिसर्च जनरल आदि का प्रयोग किया गया है। 10 व्यक्तिगत अध्ययन भी किया गया है।

4. तथ्यों का वर्गीकरण एंव विश्लेषणः–

तथ्य संकलन के पश्चात् शोधार्थी द्वारा तथ्यों का वर्गीकरण एंव विश्लेषण किया गया है जो निम्नानुसार हैः–

तालिका कमांक 1.1

उत्तरदाताओं की लिंग संबंधी जानकारी

क.	लिंग	आवृत्ति	प्रतिशत
1	महिला	50	50
2	पुरूष	50	50
	कुलयोग	100	100

प्रस्तुत तालिका के अनुसार अध्ययन में महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं को समान रूप से सम्मिलित किया गया है। कुल उत्तरदाताओं में 50 प्रतिशत महिलाएँ तथा 50 प्रतिशत पुरुष सम्मिलित हैं।

अतः महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के समान प्रतिनिधित्व के कारण अध्ययन को संतुलित एवं वस्तुनिष्ठ स्वरूप प्राप्त हुआ है, जिससे वैवाहिक विच्छेद से संबंधित विभिन्न सामाजिक तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सका।

तालिका कमांक 1.2

उत्तरदाताओं की आयु संबंधी विवरण

क.	वर्तमान आयु	महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत
1.	20 से 30 वर्ष	18	08	26	26
2.	30–40	20	10	30	30
3.	40–50	08	17	25	25
4.	50–60	03	14	17	17
5.	60 से अधिक	01	01	02	02
	कुलयोग	50	50	100	100

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सम्मिलित उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 30 प्रतिशत उत्तरदाता 30–40 वर्ष आयु वर्ग के हैं। 20–30 वर्ष आयु वर्ग के 26 प्रतिशत तथा 40–50 वर्ष आयु वर्ग के 25 प्रतिशत उत्तरदाता हैं। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के उत्तरदाता न्यूनतम 2 प्रतिशत पाए गए।

तालिका कमांक 1.3

शैक्षणिक स्तर संबंधी विवरण

क.	**शैक्षणिक स्तर**	महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत
1	प्राथमिक	01	00	01	01
2	माध्यमिक	02	00	02	02
3	हाई स्कूल	07	03	10	10
4	हायर सेकेंण्डरी	08	14	22	22

5	स्नातक	10	13	23	23
6	व्यावसायिक	22	20	42	42
कुल योग		50	50	100	100

उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि अध्ययन में सर्वाधिक 42 प्रतिशत उत्तरदाता व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हैं। इसके पश्चात 23 प्रतिशत स्नातक तथा 22 प्रतिशत हायर सेकेंडरी स्तर के उत्तरदाता हैं। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर के उत्तरदाताओं का प्रतिशत न्यूनतम पाया गया। उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ो के आधार पर यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि शिक्षा का स्तर विवाह के असफल होने की संभावनाओं को प्रभावित करता है। जिन लोगों ने अधिक शिक्षा प्राप्त कि है उन्में तालाक की संभावना अधिक देखी गई है।

तालिका क्रमांक 1.4

उत्तरदाताओं की जाति संबंधी वर्गीकरण

क.	जाति				
		महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत
1.	सामान्य वर्ग	17	23	40	40
2.	अन्य पिछडा वर्ग	20	19	39	39
3.	अनु. जाति	05	04	09	09
4.	अनु. जनजाति	08	04	12	12
	कुलयोग	50	50	100	100

उपरोक्त तालिका के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि अध्ययन में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्तरदाताओं का प्रतिशत लगभग समान पाया गया। सामान्य वर्ग में पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिशत 45 तथा महिला उत्तरदाताओं का प्रतिशत 40 है। अनुसूचित जाति के महिला एवं पुरुष उत्तरदाताओं का प्रतिशत क्रमशः 15 एवं 9 पाया गया, जबकि अनुसूचित जनजाति के उत्तरदाताओं का प्रतिशत न्यूनतम दर्ज किया गया। इस वर्ग में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का प्रतिशत अधिक है, जो क्रमशः 8 एवं 10 प्रतिशत है।

अतः स्पष्ट होता है कि वैवाहिक विच्छेद की प्रवृत्ति विभिन्न जातीय वर्गों में विद्यमान है तथा आधुनिक सामाजिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप जातिगत प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता दिखाई दे रहा है।

तालिका कमांक 1.5

बच्चों के संरक्षण संबंधी विवरण

क.	संरक्षण संबंधी	महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत्
1	माता के संरक्षण में	28	15	43	43
2	पिता के संरक्षण में	10	12	22	22
3	परिवार के संरक्षण	12	23	35	35
	कुल योग	50	50	100	100

प्रस्तुत तालिका से ज्ञात होता है कि विवाह विच्छेद के पश्चात सर्वाधिक 43 प्रतिशत बच्चे माता के संरक्षण में रह रहे हैं। 35 प्रतिशत बच्चे परिवार के संरक्षण में तथा 22 प्रतिशत बच्चे पिता के संरक्षण में रह रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह विच्छेद की स्थिति में बच्चों के पालन–पोषण एवं देखभाल की प्रमुख जिम्मेदारी प्रायः माता द्वारा वहन की जाती है। वहीं कुछ मामलों में परिवार के अन्य सदस्य भी बच्चों के संरक्षण एवं देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

तालिका कमांक 1.6

माता–पिता का बच्चों के साथ संबंधों के आधार पर विवरण

क.	बच्चों के साथ संबंध	महिला	पुरूष	कुल	प्रतिशत्
1	मधुर	20	19	39	39
2	सामान्य	27	29	56	56
3	कटु	02	02	04	04
4	तनावपूर्ण	01	00	01	01
	कुल	50	50	100	100

प्रस्तुत तालिका से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 56 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों के साथ संबंध सामान्य हैं, जिनमें 27 प्रतिशत महिला एवं 29 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता सम्मिलित हैं। 39 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों के साथ संबंध मधुर पाए गए, जिनमें 20 प्रतिशत महिला एवं 19 प्रतिशत पुरुष उत्तरदाता हैं। केवल 4 प्रतिशत उत्तरदाताओं के बच्चों के साथ संबंध कटु तथा 01 प्रतिशत उत्तरदाताओं के संबंध तनावपूर्ण पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि विवाह विच्छेद की स्थिति के बावजूद अधिकांश माता–पिता अपने बच्चों के साथ सामान्य एवं सकारात्मक संबंध बनाए रखने का प्रयास करते हैं

तालिका क्रमांक 1.7

विवाह विच्छेद का बच्चों पर प्रभाव संबंधी विवरण

क्रमांक	प्रभाव के क्षेत्र	प्रभाव की स्थिाति	महिला	पुरूष	आवृत्ति	
1	व्यक्तित्व पर प्रभाव	अंतर्मुखी	26	20	46	46
		बहिर्मुखी	24	30	54	54
2	माता–पिता के प्रति सम्मान	बढ़ा है	18	21	39	39
		घटा है	32	15	47	47
3	शिक्षा पर प्रभाव	सकारात्मक	08	12	20	20
		नकारात्मक	20	29	49	49
	मानसिक विकास पर प्रभाव	सकारात्मक	17	20	37	37
		नकारात्मक	20	24	44	44
4	परिवार के प्रति व्यवहार	अच्छा है	35	30	65	65
		बुरा है	15	20	35	35
5	पारिवारीक अनुशासन	अनुशासन है	32	20	52	52
		अनुशासनहीन	18	15	33	33

प्रस्तुत तालिका से स्पष्ट होता है कि विवाह विच्छेद का बच्चों के व्यक्तित्व, शिक्षा, मानसिक विकास, माता–पिता के प्रति सम्मान, पारिवारिक व्यवहार एवं अनुशासन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व के क्षेत्र में 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों में बहिर्मुखी तथा 46 प्रतिशत ने अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई। शिक्षा के क्षेत्र में 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक प्रभाव तथा 20 प्रतिशत ने सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया।

मानसिक विकास के संबंध में 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक प्रभाव अनुभव किया, जबकि केवल 37 प्रतिशत ने सकारात्मक प्रभाव बताया। परिवार के प्रति व्यवहार में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहार में अच्छा तथा 35 प्रतिशत ने बुरा व्यवहार पाया। पारिवारिक अनुशासन के संदर्भ में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों में अनुशासन तथा 33 प्रतिशत ने अनुशासनहीनता की स्थिति बताई।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह विच्छेद बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास को प्रभावित करता है तथा उनके समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। ने अंतर्मुखी प्रवृत्ति पाई। शिक्षा के क्षेत्र में 49 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक प्रभाव तथा 20 प्रतिशत ने सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया।

मानसिक विकास के संबंध में 44 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने नकारात्मक प्रभाव अनुभव किया, जबकि केवल 37 प्रतिशत ने सकारात्मक प्रभाव बताया। परिवार के प्रति व्यवहार में 65 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने व्यवहार में अच्छा तथा 35 प्रतिशत ने अच्छा व्यवहार पाया। पारिवारिक अनुशासन के संदर्भ में 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने बच्चों में अनुशासनहीनता तथा 33 प्रतिशत ने अनुशासन की स्थिति बताई।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह विच्छेद बच्चों के सामाजिक, शैक्षणिक, मानसिक एवं व्यवहारिक विकास को प्रभावित करता है तथा उनके समाजीकरण की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं —

1. विवाह विच्छेद से प्रभावित बच्चों को नियमित रूप से भावनात्मक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श (ब्वनदेमसपदह) उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे वे मानसिक तनाव एवं असुरक्षा की भावना से उबर सकें।

2. माता—पिता को व्यक्तिगत मतभेदों से ऊपर उठकर बच्चों के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए तथा उनके समुचित विकास हेतु सहयोगात्मक भूमिका निभानी चाहिए।

3. विद्यालयों में परामर्श सेवाओं (Counseling Services) का विस्तार किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों की शैक्षणिक एवं भावनात्मक समस्याओं का समय पर समाधान किया जा सके।

4. बच्चों को सामाजिक, सांस्कृतिक, खेलकूद एवं रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जिससे उनका सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके।

5. परिवार के अन्य सदस्यों को बच्चों के प्रति सहयोगात्मक एवं संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उन्हें सुरक्षा एवं अपनत्व का वातावरण प्रदान करना चाहिए।

6. बच्चों के आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, नेतृत्व क्षमता एवं सामाजिक कौशल के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

7. समाज में विवाह विच्छेद से प्रभावित बच्चों के प्रति संवेदनशील एवं सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए, जिससे वे सामाजिक उपेक्षा एवं भेदभाव का अनुभव न करें।

8. सरकार एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा ऐसे बच्चों एवं परिवारों के लिए सहायता, मार्गदर्शन एवं परामर्श कार्यक्रम संचालित किए जाने चाहिए।

9. बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि उनके विकास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो।

10. विवाह विच्छेद के पश्चात भी माता—पिता को बच्चों के सर्वांगीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक समायोजन के लिए सहयोगात्मक संबंध बनाए र

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. गुप्ता, एम. एल एवं शर्मा, डी.डी., (2007) समाजशास्त्र साहित्य भवन पबिल्केशन, आगरा, पृष्ठ 96।

2. अहूजा, राम, (2007) समाजशास्त्र के सिद्धांत, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ठ 85

3. श्रीवास्तव, इन्दू, (2014), समाजशास्त्र का परिचय, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी इलाहाबाद, पृष्ठ 241।

4. ताम्रकार, नम्रता, विवाह विच्छेद का बच्चों के विकास पर प्रभाव : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, सिवनी एवं बालाघाट, मध्यप्रदेश।

http://hdl.handle net/10603/318573

5. प्रधान, अलीशा (2021), तलाकशुदा माता–पिता एवं बच्चों के सर्वोत्तम हित में भारत में सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों का अध्ययन, सिक्किम विश्वविद्यालय।

http://hdl.handle net/10603/389853

6. पंचोली, दीपक (2015), विवाह विच्छेदित एवं अविवाहित अभिभावकों के बालकों के मानसिक स्वास्थ्य, समायोजन एवं शैक्षिक उपलब्धि का तुलनात्मक अध्ययन, उदयपुर संभाग, राजस्थान।

http://hdl.handle net/10603/389853

7. कुमारी, सविता (2012), पारिवारिक संरचना, पारिवारिक तनाव एवं तलाक का अध्ययन, दरभंगा, बिहार।

Http://hdl.handle net/10603/158372

8. अग्रवाल, अनिल, तलाकशुदा महिलाओं का पारिवारिक एवं सामाजिक समायोजन : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, इटावा, उत्तर प्रदेश।

Http://hdl.handle net/10603/260851

9. अजती कांत (2013), महिला एवं बाल कानून, सेंट्रल लॉ पब्लिकेशन, इलाहाबाद।

10. भारत सरकार (2011), जनगणना रिपोर्ट 2011, भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, नई दिल्ली।

11. छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर जिला सांख्यिकी पुस्तिका, रायपुर।

12. राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (NJDG), परिवार न्यायालय एवं विवाह विच्छेद संबंधी आँकड़े।

13. शर्मा, रामबिहारी, भारतीय समाजशास्त्र, जयपुररू रावत पब्लिकेशन।

14. दुबे, श्यामाचरण, भारतीय समाज, नई दिल्लीरू नेशनल बुक ट्रस्ट।

15. श्रीनिवास, एम.एन., आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली।